Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 9 ~ Issue 2 (2021) pp: 55-59
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

पर्यावरण संरक्षण की भारतीय अवधारणा

डॉ. रामकल्याण मीना
सह आचार्य राजनीति विज्ञान
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
झालावाड़ (राज.) 326001

सारांष *–प्राचीन काल से ही मानव पर्यावरण के महत्त्व से परिचित है। पहले प्रातः उठते ही सब लोग सूर्य नमस्कार से अपनी दिनचर्या प्रारम्भ करते थे। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमारे वैदिक मंत्रों में कहा गया है। मानव अपनी इच्छाओं को वश में रखकर प्रकृति से उतना ही ग्रहण करे कि उसकी पूर्णता को क्षति नहीं पहुँचे। यजुर्वेद में कहा गया है कि वृक्षों को ना काटो। जल और पृथ्वी की रक्षा करना धर्म है। यह भूमि, माता के समान सबकी पोषक है और में पुत्र के समान इस भूमिका रक्षक हूँ। भारत में पौधों का लोक महत्त्व भी है इस कारण भी पर्यावरण संरक्षण की भावना रही है भारतीय संविधान में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कानूनों का उल्लेख है।*

मुख्य शब्द *:– औद्योगिकरण, गरीबी, प्रकृति, लोकगीत, लोक देवता, पूजनीय कल्पतः*

वर्तमान युग में प्रकृति के साथ सामाजिक अन्त–क्रिया इतनी व्यापक है कि पर्यावरणीय समस्यायें विकराल रूप धारण कर चुकी है। मुख्यतया बढ़ती हुई गरीबी एवं आबादी, तीव्र औद्योगिकरण, शहरी क्षेत्रों का विस्तार, शिक्षा की कमी, परम्परागत ऊर्जा एवं कच्चे माल के स्रोतों का क्षरण, त्रुटिपूर्ण पर्यावरण नीतियाँ, जटिल न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय एवं कार्यपालिका द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन में विलम्ब इत्यादि कारण पर्यावरण ह्रास हेतु उत्तरदायी है। यद्यपि –प्राचीन काल से ही मानव पर्यावरण के महत्व से परिचित हैं। पहले प्रातः उठते ही सब लोग सूर्य नमस्कार से अपनी दिनचर्या प्रारम्भ करते थे। यह उनका प्रकृति को सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमारे वैदिक मंत्रो में कहा गया है–[1]

ऊँ पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात्पूर्णमुच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते।।

अर्थात मानव अपनी इच्छाओं को वश में रखकर प्रकृति से उतना ही ग्रहण करें कि उसकी पूर्णता को क्षति नहीं पहुंचे।

यजुर्वेद में कहा गया हैं –

धानाँ लेखीरन्तरिक्ष मा हि सीः पृथिका संभर्व
अयं हित्वा स्वधिं तिस्ते तिजंनः
प्राणितापं पहते सौभागाय।
अतस्त्व देवं वनस्पते शतवल्सो
विरोह सहस्त्रंवल्शा विवियं रूहेम।।

अर्थात् वृक्षों को ना काटो। जल और पृथ्वी की रक्षा करना धर्म हैं। पृथ्वी से उतना ही भागनिकालो जिस की पूर्ति की जा सके।

* Corresponding Author: डॉ. रामकल्याण मीना

वेदों में पर्यावरण की गहरी समझ ही इस बात का प्रमाण हैं कि उसने पर्यावरण में मातृत्वको देखा और कहाः—[2]

"माता भूमिः पुत्रोऽहंपृथिव्याः।

अर्थात यह भूमि, माता के समान सब की पोषक हैं और मैं पुत्र के समान इस भूमि कारक्षक हूँ।

"मत्स्यपुराण" ने तो एक वृक्ष को दस पुत्रों के बराबर गिना हैंः—[3]

दशमकूपसमावापी, दशवापीसमोंहदः
दशहदसमो पुत्रोः दशपुत्रसमो वृक्षः।

अर्थात् दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब तथा दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष हैं।

नारदपुराण में ईश्वर—भक्तों को वृक्ष लगवाने, तालाब, झीले खुदवाने, बगीचे लगवाने, जैसेजनहितैषी उपाय सुझाए गये हैं।

हमारा शरीर पर्यावरणीय पंच तत्वों के संघात का योग हैं। इस पर्यावरण एवं मानव शरीरके समन्वय को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किन्धाकाण्ड में लिखा हैंः—

"क्षिति—जल पावक गगन समीरा
पंच तत्व मिली बना सरीरा।"

बोधि वृक्ष के नीचे बोध पाकर सिद्वार्थ भगवान बुद्व हो गये। पाँच वटों की वटी पंचवटी भगवान राम की तपस्या स्थली बन गई। उदयपुर की हल्दीघाटी के पास का बडल्ला हींदवा नौ लाख देवियों का प्रसिद्व स्थल माना जाता हैं। यह बारह बीघा में फैला हुआ था। जेठ माह में वट—सावित्री और बड़—अमावस के उत्सव आते हैं। सावित्री ने इसी के नीचे यमराज से अपने मृत पति को जीवित पाया। पीपल की भी ऐसी ही मान्यता हैं। इस वृक्ष को कोई रोग नहीं होता। पर्यावरण संतुलन का यह सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है एक घंटे में 1722 किलो ऑक्सीजन देता हैं और 2252 किलो अशुद्व हवा कार्बन—डाइ—ऑक्साइड पचाता हैं इसलिए यह पूजनीय भी हैं। कन्या को उचित वर नहीं मिलने पर कार्तिक में पीपल से उसका विवाह करा दिया जाता हैं। पीपल की पूजा से कामना सिद्धि मिलती हैं। दशमाता का व्रत महिलाएं इसी की पूजा साक्षी में पूरा करती है। बोधि वृक्ष इसी का नाम हैं।[4]

भारत में पौधों का लोक महत्व भी हैं इस कारण भी पर्यावरण संरक्षण की भावना रही हैं। तुलसी के पौधों को भारतीय अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते हैं और श्रद्वा व्यक्त करते हैं। तुलसी को "ओसिमम सैक्टस" कहा जाता हैं जो ग्रीक भाषा के "बसिलिकोन" शब्द से उत्पन्न हुआ हैं। "बसिलिकोन" शब्द का अर्थ हैं — "राजसी"। फ्रांस के लोग इसीलिए तुलसी को "ल प्लांसी रॉयली" अर्थात् राजसी पौधा कहते हैं। यह एक मात्र पौधा था जो ईसा की कब्र पर उगा था इसलिए ईसाई लोग इसे बड़ा पवित्र मानकर श्रद्वा करते और पूज्य समझते हैं। कोई भी भोग तुलसी के बिना पूरा नहीं माना जाता। तुलसी के विशिष्ट औषधीय गुणों के कारण इटली और ग्रीसवासी भी इस पौधे को आदर देते हैं। "बेसिल दिवस" के शुभ अवसर पर तुलसी की टहनियों को चर्च में ले जाने आरै पुन : लौट कर फर्श पर बिखेर देने की परम्परा वहां की औरतों में आज भी कायम हैं। तुलसी का पौधा शुभ और हितकारी हैं— यही सोच कर महिलायें इसकी पूजा करती हैं। तुलसी विवाह भी कराया जाता हैं। क्योंकि इसकी देवी के रूप में मान्यता हैं।[5]

"बांस है तो सांस है" कहावत ने बांस के महत्व को प्रतिपादित किया हैं। बांस हमारी संस्कृति का जीवन्त घटक हैं। बांस की बांसुरी पकड़, कृष्ण ने क्या—क्या नहीं किया। बांस का प्रयोग भागवत कथा में भी होता हैं।

नीम या मारगोटा ट्री लगभग सब जगह पाया जाने वाला वृक्ष हैं। राजस्थानी लोक गीतों में इसका वणर्न हैं। राजस्थान में नीम का वृक्ष भी पूजनीय हैं। यह वृक्ष लोक देवता देवनारायण व तेजाजी महाराज के चबूतरों के निकट लगाया जाता हैं और गुर्जर समुदाय के लोग इसकी रक्षा करते हैं।

आम, केला, पीपल के पत्तों का वन्दन घर बनाया जाता हैं। आम की पत्ती से भगवान आदि कथा में जल विसर्जन तथा यज्ञ हवनादि में घी पूरा जाता हैं। केला संतान देने वाला हैं इसलिये हर गुरूवार को पूजा जाता हैं। विवाह, कथावचन,

* Corresponding Author: डॉ. रामकल्याण मीना

हवनवेदी जैसे मांगलिक मौकों पर इसके तनों से शुभ मंडप बनाया जाता हैं। इन वृक्षों के अलावा और भी सुपारी, खजूर जैसे वृक्ष पूजनीय हैं मंगलकारी हैं।

पूरे सावन के महिने बेलपत्रो से शिव की उपासना फलदायी मानी जाती हैं प्रकृति और आदिवासी तो एक–दूसरे के पर्याय हैं।

पौराणिक युग से भारतीय महिलाओं के प्रकृति प्रेम का एक अनुठा इतिहास रहा हैं। शकुन्तला, प्रियंवदा और अनुसूयाँ छोटी–छोटी गागरियाँ लिए पेड़ों को सींचा करती थी। पशुपतिनाथ की पत्नी पार्वती तो स्वयं प्रकृति की पुत्री थी। पर्वत की पुत्री के नाते पर्वत पर उगे वनों से प्यार होना तो स्वाभाविक हैं।

खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान इलाके में बहुतायत से होता है जिसे राजस्थान का कल्पतरू कहते है। पेड़ों की रक्षा के विषय में राजस्थान में एक कहावत है– "बाम लिया दाग लगे टूकड़ों देवों न दान, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तों जाण।" विश्नोई समाज की वीरांगनाओं ने पर्यावरण रक्षा का एक इतिहास बनाया हैं। खेजड़ली बलिदान में अमृता देवी का नाम सर्वोच्च है।

मांगलिक अवसरों पर लीपी पुती सौंधी धरती पर जो मांडणे मांडे जाते है उनमें सारा पर्यावरण ही प्रकटिक हुआ मिलता है। पेड़ पौधे, चीड़ें–चाड़ी और प्राकृतिक परिवेश। ऐसे ही अंकन शरीर पर गूदनों के रस्में देखने को मिलती है। भित्ती चित्रों में भी इन्हीं का चितरावण मिलता है। फड़ कला हो, चाहे कापड़ कला, पाठो की कला हो या कोई चितेरा कला, सब के विन्यास जहाँ भी मानव सत्ता है वहाँ पर्यावरण का पत्ता अवश्य दिखाई देगा। श्राद्ध पक्ष में राजस्थान, मालवा, पंजाब, नेपाल तक घर की मुख्य देहली के बाहर प्रतिदिन सायं संज्या फूलती है।[6]

आजादी के बाद भारत के आर्थिक आधुनिकीकरण के इतिहास में नदियों पर बड़े–बड़े बांधो की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। जवाहर लाल नेहरू इन बांधों को देखकर काफी अभिभूत थे जिसे उन्होंने "आधुनिक भारत का मंदिर कहा था।" गाँधीवादियों को बड़े, बांधो के निर्माण पर कड़ी आपत्ति थी। वे उन्हें खर्चीला और प्रकृति विनाशक मानते थे।

गांधीवादियों ने पर्यावरण संतुलन के आधार पर आधुनिक विकास की कुछ अपरिपक्व किस्म की आलोचनाएं प्रस्तुति की। शुरूआती पर्यावरण आंदोलन के हरावल दस्ते में महात्मा के दो नजदीकी शिष्य शामिल थे। इनमें एक थे जे. सी. कुमारप्पा और दूसरी थी मीरा बैन (मैड़लीन स्लेड़) 50 के दशक में वे देश की कृषि नीति की पारम्परिक और सर्वमान्य समझ पर तीखी असहमति जाहिर करते हुए उन्होनें कहा कि सिंचाई की छोटी–छोटी प्रणालियां बड़े बाँधों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है जैविक खाद जमीन की उर्वरता को बरकरार रखने का सस्ता और टिकाऊ साधन है, जंगल का प्रबंधन राजस्व बढ़ोत्तरी के उपायों की बजाय जल प्रबन्धन के दृष्टिकोण से होना चाहिए। ये खास आलोचनाएं प्रकृति की व्यापक समझदारी का एक हिस्सा थी। मीरा बेन ने सन् 1940 में लिखा – आज की दुनिया की सबसे दुखद बात ये है कि शिक्षित और पैसे वाला वर्ग हमारे अस्तित्व की अहम मूलभूत चीज धरती माता, जानवरों और पेड़–पौधों से कट गया जिसे ये धरती पालती–पोसती है। प्रकृति की योजना अनुसार बनी यह दुनिया बुरी तरह से लूटी खसोटी जा रही है। जब भी इंसान को मौका मिलता है इसे बुरी तरह तहस–नहस और छिन्न–भिन्न कर दिया जाता है। यद्यपि अपने विज्ञान और मशीनों से वह कुछ समय के लिए काफी फायदा बटोर लेगा, लेकिन आखिरकार वह अपने आपको तकलीफ ही पहुँचाएगा।[7]

भारत में पर्यावरण चेतना का प्रारम्भ वास्तविक रूप से स्टॉकहोम में हुए मानव–पर्यावरण सम्मेलन के उपरान्त हुआ है इसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने सम्मिलित होकर पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दी। उन्होने इस सम्मलेन में अशोक के बारे में बताया कि वे भारत के प्रथम और एक मात्र सम्राट थे जिन्होने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। अतः प्रत्येक देश की सरकार का कर्तव्य है कि पर्यावरणीय चेतना का कार्य कर पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले लोगों को दण्ड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए। जितना उसे पुनः पूरित कर सके।[8]

पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत में पर्यावरण आन्दोलन भी हुए, पर्यावरणवादी जहां एक और पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे है, वहीं आम आदमी के परम्परागत अधिकारों की रक्षा की भी बात कर रहे हैं पर्यावरण आन्दोलनों ने भारतीय लोकतंत्र तथा समाज को एक नया आयाम दिया है।

* Corresponding Author: डॉ. रामकल्याण मीना

पर्यावरण आंदोलनों के उदय का मुख्य कारण पर्यावरणीय विनाश है। माधव गाडगील तथा रामचन्द्र गुहा भारतीय पर्यावरण आंदोलनों में मुख्यतः तीन वैचारिक दृष्टिकोण रेखांकित करते है। गांधीवादी, मार्क्सवादी तथा उपयुक्त तकनीकी दृष्टिकोण। गांधीवादी दृष्टिकोण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए मानवीय मूल्यों में हो रहे ह्रास तथा आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली को जिम्मेदार मानते है। इस समस्या की समाप्ति के लिए वे प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करने पर जोर देते है। यह दृष्टिकोण पूर्व औपनिवेशिक ग्रामीण जीवन की और लौटने को आह्वान करता है, जो सामाजिक तथा पर्यावरणीय सौहार्द पर आधारित था। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में पर्यावरणीय संकट को राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं से जोड़ा जाता है। इसका मानना है कि समाज में संसाधनों का असमान वितरण पर्यावरणीय समस्याओं का मूल कारण है। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार पर्यावरणीय सौहार्द पाने के लिए आर्थिक समानता पर आधारित समाज की स्थापना एक अनिवार्य शर्त है। तीसरी और उपयुक्त तकनीकी दृष्टिकोण औद्योगिक और कृषि, बड़े तथा छोटे बांधों प्राचीन तथा आधुनिक तकनीकी परम्पराओं के मध्य सामंजस्य लाने का प्रयत्न करता है। यह दृष्टिकोण व्यावहारिक स्तर पर गांधीवादी तकनीकों तथा रचनात्मक कार्यों से बहुत मेल खाता है। इन तीनों दृष्टिकोणों की एक झलक हमें चिपको आन्दोलन में देखने को मिलती है।

भारतीय पर्यावरण आन्दोलन को मुद्दों के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता हैप्रथम समूह में जल से जुड़े आन्दोलन है जिनमें मुख्य है। नर्मदा–टिहरी बचाओ आंदोलन, चिल्काबचाओ आंदोलन, गंगा मुक्ति आंदोलन, पानी पंचायत आदि। इनका उद्देश्य जल को प्रदूषण मुक्तकरना, पेयजल की प्राप्ति तथा जल संरक्षण की परम्परागत तकनीकों को प्रयोग में लाना है। दूसरेवर्ग में जंगल से जुड़े आंदोलन है इनमें मुख्य है – विश्नोई आन्दोलन, चिपको आन्दोलन, अप्पिकोआन्दोलन, साइलेन्ट घाटी आन्दोलन आदि इनका उद्देश्य वनों को संरक्षित करना, जैव विविधता कीरक्षा करना तथा वन संसाधनों में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करना है। तीसरे समूह मेंजमीन से जुड़े आन्दोलन है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, मिट्टी का कटाव रोकने तथा बड़ीपरियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए संघर्षरत है। इनमें मुख्यहै– बीज बचाओ आंदोलन, नर्मदा तथा टिहरी बचाओं आंदोलन।[9]वर्तमान में भारतीय नारी शक्तिवंदना शिवा, मेधा पाटेकर, अरूंधती राय, सुनीता नारायण, मेनका गांधी, राधा भट्ट, डॉ. हर्षवतीविष्ट, कमला चौधरी पर्यावरण संरक्षण हेतु निरन्तर संघर्षरत है।

हमारे देश में संविधान का 42 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान संशोधन करके पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रावधानों को राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 48 क एवं मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 (क) में जोड़ा गया जो निम्न प्रकार है–

48 ''क''–पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

51 क –भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–

प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।

इस सार्थक प्रयास के अतिरिक्त सन् 1974 में जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, सन् 1981 में वायु के प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम तथा सन् 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे केन्द्रीय विधानों को पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में भारतीय न्यायपालिका की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सिद्धांतों में बदलाव या बिना बदलाव के राष्ट्रीय विधि में सम्मिलित करना एवं स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को ''मूलाधिकार'' का दर्जा देना सराहनीय प्रयास है।[10]

42 वे संविधान संशोधन द्वारा वन, वन्य जीव जन्तुओं और पक्षियों का रक्षण समवर्ती सूची में कर दिए गए। अनु. 19 (1) छः किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से या अनैतिक ढंग से पेशा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यह बताया गया है कि ''किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नही।'' उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत ही प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु के उपयोग करने का अधिकार संविधान में प्रदत्त किए गए अधिकार प्राण का अधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचार बाबत् उपबंध किए गये है जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को पर्यावरणीय मामलों के

* Corresponding Author: डॉ. रामकल्याण मीना

लिए अनुच्छे 12 में बताए गए ''राज्य'' के विरूद्ध परमादेश लेख तथा अन्य प्रकार के युक्ति युक्त निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।[11]

अनुच्छेद 47 के अधीन राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह लोगों के पोषाहर स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के प्रयास करें तथा विशेषतया औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, मादक पेयो और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रतिषेध करने का प्रयास करे।[12]

भारतीय संसद द्वारा 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। इस अधिनियम में 4 अध्याय 26 धाराएँ है धारा 2 में पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषण, किसी पदार्थ के संबंध में ''हथालना'' ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन पैकेज, भण्डारकरण, परिवहन उपयोग संग्रहण, विनाशक, परिसंकटमय पदार्थ किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिष्ठाता, विहित, शब्दो की परिभाषाएँ दी गई।[13]

आजादी के पश्चात् भारत सरकार के वन्य प्राणियों, पक्षियों तथा पादपों के संरक्षण बाबत् 9 सितम्बर 1972 को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 को संसद ने पारित किया जिसका उद्देश्य इन वन्य प्राणियों, पक्षियों तथा पेड़–पौधों की विलुप्त होती हुई जातियों, प्रजातियों को संरक्षित करना तथा उनसे संबंधित या अनुषागिक या प्रासंगिक सभी विषयों का उपबन्ध करना है।[14]

निष्कर्ष :–भारतीय धर्म संस्कृति और परम्पराओं में पर्यावरण को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है हमारी सभ्यता और संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यताओं में से है। दुनिया की तमाम संस्कृति और सभ्यताओं का जब कोई अता–पता भी नहीं था उस समय भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। भारतीय द्रष्टाओं और ऋषियों ने अपने तपोबल के द्वारा प्रकृति के साथ तारतम्यता स्थापित कर लिया था और उसी के अनुसार जीने की प्रणाली भी विकसित की थी। हमारी सभ्यता के अभ्युदय का मूल मंत्र भी यही था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. त्रिवेदी, पी. सी., गुप्ता गरिमा : ''पर्यावरण अध्ययन'' आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, 2007, पृ. 4, 5
2. दबे, दया, ''वेदो में पर्यावरण'' सुरभि पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2000, पृ. 21
3. उपर्युक्त, पृ. 07
4. जैन, प्रेम सुमन : ''पर्यावरण संतुलन एवं शाकाहार'' संघी प्रकाशन, जयपुर, 1995, पृ. 51
5. शर्मा, दामोदर, व्यास हरिशचन्द्र : ''हमारा पर्यावरण'' साहित्यगार जयपुर, 1995, पृ. 121
6. जैन, प्रेम सुमन वही, पृ. 54
7. गुहा, रामचन्द्र : ''भारत गाँधी के बाद भारत के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास'' पेंगुइन बुक्स इंडिया, गुड़गांव, 2014, पृ. 266, 279
8. गुर्जर रामकुमार, जाट बी.सी. : ''मानव एवं पर्यावरण'' पंचशील प्रकाशन जयपुर, 2005, पृ. 25
9. समकालीन समस्याएँ एवं विश्लेषण, मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, मार्च 2015, पृ. 113
10. www.shodh.net 15 जनवरी 2010 आलेख डॉ. राकेश कुमार ''प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा''
11. सिंह, सुरेन्द्र सैनी श्रवण कुमार : पर्यावरण विधि, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2006, पृ. 37 से 39
12. पाण्डेय, जयनारायण : ''भारत का संविधान'', सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी इलाहाबाद, 1989, पृ. 271
13. पर्यावरण अधिनियम 1986
14. सिंह, सुरेन्द्र व सैनी वही, पृ. 224

* Corresponding Author: डॉ. रामकल्याण मीना